



113



P3 251

## न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /निगरानी /2008

R-1213 APR/08

२१ अप्रैल, २००८  
श्री श्योपुर कला बाजार दिन १०.०८

सातवाहन राजस्व एवं व्यापारिक  
प्राप्ति संग्रहीत

हुकुम चन्द्र पुत्र स्व. श्री  
चिरोंजीलाल जाति वैश्य निवासी  
श्योपुर कला, परगना एवं जिला  
श्योपुर कला म.प्र.

अधिकारी  
निगरानी कला

बनाम

- ओमप्रकाश पुत्र बालमुकुन्द आयु 41 वर्ष, निवासी बोहरा बाजार श्योपुर कला म.प्र.
- मोहन पुत्र बालमुकुन्द आयु 38 वर्ष जाति वैश्य, निवासी ग्राम ढोढर परगना एवं जिला श्योपुर कला
- दौलतराम पुत्र श्री बालमुकुन्द आयु 36 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी सिरसा जिला सिरसा हरियाणा
- लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री बालमुकुन्द आयु 32 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी बोहरा बाजार श्योपुर कला परगना एवं जिला श्योपुर म.प्र.
- पुष्पा बाई बेवा बालमुकुन्द आयु 60 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी सिरसा जिला सिरसा हरियाणा

6. दुलीचन्द्र पुत्र कस्तूर चन्द्र आयु 70

वर्ष जाति अग्रवाल निवासी पोर्ट

ऑफिस की गली श्योपुर कलां

परगना एवं जिला श्योपुर कला

....रेस्पोडेन्ट्स

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश  
दिनांकित 27.9.2008 पारित द्वारा श्री अपर आयुक्त चंबल संभाग  
मुरैना अन्तर्गत द्वितीय माल अपील क्रमांक 255/06-07

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत हैं –

### प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1. यह कि, मृतक कस्तूरी बाई के नाम ग्राम सलापुरा में विवादित कृषि भूमि रिथत थी, जो दिनांक 20.6.1992 को फोत हो चुकी है। कस्तूरी बाई के कोई पुत्र, पुत्रियाँ नहीं हैं तथा पति रामहेत पूर्व में ही फोत हो चुके थे। कस्तूरी बाई अपीलान्ट के पास रहती थी तथा एक लिखित सादा वसीयत की की दी। कस्तूरी बाई के कोई संतान तथा पति जीवित न होने से अपीलान्ट, तथा रेस्पोडेन्ट ही वारिस होकर होकर उत्तराधिकारी है। किन्तु बादमुकुन्द जो बंशीलाल का पुत्र है ने स्वयं को रामहेत का पुत्र बताकर अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में बिना पक्षकार बनाये रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 लगायत 5 नामांतरण करा लिया है। जिससे निगरानीकर्ता के स्वत्व प्रमाणित हुये हैं इस कारण निगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, उक्त अपील का प्रकरण क्रमांक 46/06-07 अपील माल था उक्त अपील को श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा दिनांक 30.6.2007 को निरस्त कर दिया उक्त अपील के निरस्ती के पश्चात निगरानीकर्ता की ओर से द्वितीय अपील माल श्रीमान अपर आयुक्त के यहाँ प्रस्तुत की गई जिसका प्रकरण क्रमांक 255/2006-07 द्वितीय अपील है जो अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है उक्त अपील में 16.01.

*H/4*

*S. S. S.*

8-9. 17.

शाक्षेपुरा—321—फॉर्म—21-9-2012—10,000.